रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29, 1973/आश्विन 7, 1895
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29, 1973/ASVINA 7, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

14 SEP 1973

OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY

(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range

NOTICES UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Nagpur, the 3rd September 1973

No. IAC/ACQ/7/73-74.—Whereas, I, S. S. Roy being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 bearing house.

Nazul plot No. 79 out of Khasra No. 217, Mouza Lendhra, having area of 12000 Sft. situated at Civil Expansion Scheme, Ramdaspeth, Nagpur.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Nagpur on 28th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transfer(s) and the transferee(s) has not been truly stated in said instrument of transfer with the object of:—

(a) Facilitating reduction or evasion of the Liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) Facilitating concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons, for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under Sub-section (1) of Section 269-D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) (*i*) Smt. Shashikala Waman Khare
(*ii*) Shri Shashank Waman Through Natural Guardian Waman Wasudeo Khare. (Transferer)

(2) (*i*) Vijayprakash N. Singhania
(*ii*) Rajkamal N. Singhania
(*iii*) Vinodkumar N. Singhania (Transferee)

(3) .. (Person in occupation of the property)

(4) .. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 *days* from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 *days* from the service of the notice on the respective persons, *whichever period expires later*;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation:

The terms and expressions used herein as are defined in Chapter-XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

House property bearing Nazul Plot No. 79 and Khasra No. 217, Mouza Lendhara, situated in Civil Station Expansion Scheme, Ramdaspeth, Nagpur (Maharashtra).

SEAL

Nagpur, dated the 3rd September, 1973.

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी

(निरीक्षक सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज, नागपुर)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

नागपुर, 3 सितम्बर, 1973

संख्या आय० ए० सी०/ए० सी० क्यू०/7/73-74.—यतः मुझे, एस० एस० राय, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के स्वाधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से

अधिक है और जिसकी :

सं० 12,000 चौरसपूट भूमीं जिसका नझूल प्लाट नं० 79 जो खसरा नं० 217 और जो मौझा लेंड्रा मिव्हील एक्सपानशन स्किम रामदास पेठ नागपूर में स्थित है।

(और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नागपूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 28/3/73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने के लिए सुकर बनाना, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20—क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269—ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269—घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. श्रीमती (i) शशीकला वामन खरे

(ii) श्री शशांक वामन खरे
मार्फत अज्ञान पालक
वामन वासूदेव खरे (अन्तरक)

2. श्री/श्रीमती/कुमारी (i) विजयप्रकाश एन० सिंघानिया

(ii) राजकमल एन० सिंघानिया

(iii) विनोदकुमार एन० सिंघानिया (अन्तरिती)

*3. श्री/श्रीमती/कुमारी

.....

..... (वह व्यक्ति, जिस के अधिभोग में सम्पत्ति है)

*4. श्री/श्रीमती/कुमारी

.....

..... (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे और उस की सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और अवधि, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गृह संम्पत्ति जिसका नक्शूल प्लाट नं० 79 है और खसरा नं० 217 हैं जो मौजा लेंड्रा सिव्हील स्टेशन एक्सपान्शन स्किम रामदास पेठ नागपूर (महाराष्ट्र) में है

तारीख : 3–9–1973.

मोहर :

*(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

Nagpur, the 4th September 1973

IAC/ACQ/10/73-74.—Whereas I, S. S. Roy, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 bearing:

House No. 22 and Nazul plot No. 12 (Sheet No. 27C) Akola.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Akola on 19th April, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been trully stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) Facilitating the reduction or evasion of the Liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) Facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets whichh have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under Sub-section (1) of Section 269-D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1)	Shri Vijay Dinkarrao Rajurkar .	(Transferor)
(2)	Shri Hakeemji Jiwaji Bohari .	(Transferee)
(3)	..	(Person in occupation of the property)
(4)	..	(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION:

The terms and expressions used herein as are defined in Chapter-XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in the Chapter.

SCHEDULE

House property bearing house No. 22 and Nazul plot No. 12 (Sheet No. 27C) on Tilak Road in Municipal Ward No. 28 at Akola (Maharashtra).

Nagpur, dated the 4th September, 1973.

Seal

नागपुर, 4 सितम्बर 1973

सं० आई० ए० सी०/ए० सी० क्यू०/10/73-74.—यतः मुझे, एस० एस० राय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269(ख) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी

सं० 22 और नक्शूल प्लाट नं० 12 (सिट नं० 27 सी) जो आकोला में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आकोला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19-4-73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री/श्रीमती/कुमारी श्री विजय दिनकर राव राजरकर.....
.....
..... (अन्तरक)

2. श्री/श्रीमती/कुमारी श्री हाकीमजी जिवाजी बोहरी
.....
..... (अन्तरिती)

*3. श्री/श्रीमती/कुमारी
.....
.....
..... वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

*4. श्री/श्रीमती/कुमारी
.....
.....
..... (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे और उस की सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे या अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गृह संपत्ति क्रमांक 22 और नजूल प्लाट नं० 12 (सीट नं० 27 सी) जो तिलक रोड म्युनिसिपल वार्ड नं 28 आकोला में स्थित है ।

तारीख : 4-9-1973

मोहर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

No. IAC/ACQ/11/73-74.—Whereas, I. S. S. Roy being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 bearing.

No. 246/06 in Municipal Ward No. 22, Bagadganj, Nagpur.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the

Office of the Registering Officer at Nagpur on 29th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(S) and the transferee(s) has truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) Facilitating the reduction or evasion of the Liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) Facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which sought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reason for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of Section 269-D, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under Sub-section (1) of Section 269-D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/s. Premji Shivji and Company . (Transferor)

(2) (*i*) Smt. Jeeviben w/o Karsan
(*ii*) Smt. Jethibai w/o Deosi Patel
(*iii*) Smt. Vasantibai w/o Manilal
(*iv*) Smt. Damayantibai w/o Harilal
} (Transferee)

(3) (*i*) M/s. Azad Saw Mills . (Person in occupation of the property)
(*ii*) Shri Arjan Ramchan
(*iii*) Shri Chunilal Walji
(*iv*) Shri Vishram Lakhansi
(*v*) Shri Premji Deoji
. . (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

(4) . .

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) By any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every persons who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter-XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in the Chapter.

SCHEDULE

House property bearing No. 246/06 In Municipal Ward No. 22 (Plot No. 16-A Section III Circle No. 11/16 Division No. 3) at Bagadganj, Nagpur.

Nagpur, dated the 4th September, 1973.

Seal

संख्या आय० ए० सी०/ए० सी० क्यू०/11/73–74—यतः, मुझे, एस० एस० राय० आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 (1) ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रु० से अधिक है और जिसकी सं० 246/06 जो म्युनिसिपल वार्ड नं० 22 बगडगंज नागपूर में स्थित है (और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नागपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19–3–73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः, अब, धारा 269–ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री/श्रीमती/कुमारी मे० प्रेमजी शिवजी एंड कंपनी

.....

.....(अन्तरक)

2. श्री/श्रीमती/कुमारी 1 श्रीमती जी जीवेन कसन

2 श्रीमतीजेठा बाई देवसी पटेल

3 श्रीमती बसंती बाई मनीलाल

4 श्रीमती दमयंतीबाई हरीलाल (अन्तरिती)

*3. श्री/श्रीमती/कुमारी 1 श्री आजाद सॉ मिल
2 श्री अर्जुन रायचंद
3 श्री चुन्नीलाल वालजी
4 श्री विश्राम लखनसी
5 श्री प्रेमजी देवजी

..... (वह व्यक्ति, जिस के अधिभोग में सम्पत्ति है)

*4. श्री/श्रीमती/कुमारी
.....
.....
..... (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में दिए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गृह सम्पत्ति क्रमांक 246/06 जो म्युनिसिपल वार्ड नं० 22 (प्लांट नं० 16 ए सेक्शन 3 सर्कल नं 11/16 डिव्हीजन नं 3) बगडगंज नागपूर में स्थित है ।

तारीख : 4-9-1973 .
मोहर

*(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

No. IAC/Acq/12/73-74.—Whereas, I. S. S. Roy, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 bearing:

No. 1169/0-1 Cir. No. 20 Ward No. 40, on Hill Road, Gokulpeth Nagpur.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Nagpur. Partly on 26th March, 1973 and partly on 3rd April, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) Facilitating the reduction or evasion of the Liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) Facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets whichh have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under Sub-section (1) of Section 269-D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1)	Sow. Kamalabai Purushottam Tidke .	(Transferor)
(2)	Shri Vinayak Narayanrao Girnikar	(Transferee)
(3)	(*i*) Parvani Shindhi (*ii*) Sow. Kamalabai Purushottam Tidke	(Person in occupation of the property)
(4)	—	(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) By any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every persons who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation:

The terms and expressions used herein as are defined in Chapter-XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

House property No 1169/0-1 in Circle No. 20, Ward No. 40, on Hill Road, Gokulpeth Layout, Nagpur.

Seal

Nagpur, dated the 4th September, 1973.

सं० आय० ए० सी०/ए० सी० क्यू०/12/73–74.—यतः, मुझे, एस० एस० राय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के स्वाधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रु० से अधिक है और जिसकी सं० 1169/01 जो, सर्कल नं० 20 वार्ड नं० 40 लिंक रोड गोकुलपेठ नागपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दो भागों 26-3-73 और 3–4–73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरिकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब धारा 269–ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269–घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :–

1. श्री/श्रीमती/कुमारी
.....सौ० कमला बाई पुरषोत्तम तिडके.....
..... (अन्तरक)

2. श्री/श्रीमती/कुमारी श्री विनायक नारायण गिरणी कर
.....
..... (अन्तरिती)

*3. श्री/श्रीमती/कुमारी परवाजी सिंघी सौ० कमला बाई पुरषोत्तम तिडके
.....
..... (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

†4. श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....
.....
..... (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ।)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे और उस की सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गृहसंपत्ति क्रमांक 1169/01 जो सर्कल नं० 20 वार्ड नं० 40 हिल रोड गोकुलपेठ नागपुर में स्थित है

तारीख : 4-9-1973

मोहर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए

No. IAC/Acq/13/73-74.—Whereas, I, S.S. Roy being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 bearing

No. 39 on Mirchi Bazar Road in Ward No. 36 Itwari, Nagpur.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Nagpur partly on 26th March, 1973 and partly on 13th April, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration.

for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has trully stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) Facilitating the reduction or evasion of the Liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) Facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which sought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reason for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of Section 269-D, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under Sub-section (1) of Section 269-D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/s. Hajikarim Noor Mohmed and partners (*i*) Seth Ismail Abdul Shakoor (*ii*) Seth Noor Mohmed Haji Ibrahim (*iii*) Seth Yashin Ismail and (*iv*) Seth Abdul Karim Noor Mohmed.	(Transferor)
(2) M/s. Patels Kanji Hansraj Bidi Works and Partners	(Transferee)
(3) ..	(Person in occupation of the property)
(4) ..	(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) By any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every persons who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter-XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in the Chapter.

SCHEDULE

House property bearing No. 39 on Mirchi Bazar Road, in Word No. 36, Itwari, Nagpur.

Nagpur dated the 4th September, 1973.

Seal

सं० आई० ए० सी०/ए० सी० क्यू०/13/73-74.—यतः, मुझे, एस एस रॉय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 (1) घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/—रु० से अधिक है और जिसकी:

सं० 39 जो मिरचीबजार-रोड वार्ड नं० 36 ईतवारी नागपूर में स्थित है ।

(और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नागपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19 दो भागों में 26-3-73 और 13-4-73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया । ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने के लिए सुकर बनाना, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20—क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः, अब, धारा 269—ग के अनुसरण में मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269—घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री/श्रीमती/कुमारी मैं हाजिकरीम नूर मोहमद और पार्टनर
सेठ इस्माइल अब्दुल शफूर
सेठ नूर मोहमद हाजी इब्राहीम
सेठ यासिंग इस्माइल और (अन्तरक)
सेठ अब्दुल करीम नूर मोहमद

2. श्री/श्रीमती/कुमारी मैं पटेल कांजीहंसराज जी विडी वर्क्स और पार्टनर
.....
..... (अन्तरिती)

*3. श्री/श्रीमती /कुमारी
.....
.....
..... (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पति है)

*4. श्री/श्रीमती/कुमारी
.....
.....
..... (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे और उस की सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण.— इसमें प्रयुक्त शब्दों और अवधि, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गृहसंपत्ती क्रमांक 39 जो मिरची बजार रोड वार्ड नं० 36 ईतवारी नागपूर में स्थित है ।

तारीख : 4-9-1973

मोहर :

*(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

No. IAC/Acq/14/73-74.—Whereas, I, S. S. Roy being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 bearing:

Two shops in the ground floor of house No. 653-A (Known as Govind Niwas) in Ward No. 16 Central Avenue Road, Nagpur.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in Office of the Registering Officer at Nagpur on 29th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as

agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) Facilitating the reduction or evasion of the Liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) Facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets whichh have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under Sub-section (1) of Section 269-D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1)	Govindram Verhomal Chhabriya	(Transferor)
(2)	(*i*) Smt. Vidyadevi Gangaram (*ii*) Smt. Kamladevi Ludindaram	(Transferee)
(3)	(*i*) Sureshlal Parashram (*ii*) Manager, Singer Sewing Machine Co.	(Person in occupation of the property)
(4)		(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) By any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation:

The terms and expressions used herein as are defined in Chapter-XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in the Chapter

SCHEDULE

Two shops in the ground floor of house No. 563-A (known as Govind Niwas) in Ward No. 16 on Central Avenue Road, Nagpur.

Seal

Nagpur dated the 3rd September, 1973.

सं० आई० ए० सी० (ए० ओ०) बी० बी० एन०/14/73-74.—यतः, मुझे, एस० एस० राय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि अचल सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी:

सं० गोविन्दनिवास नाम से [illegible] में से दो दुकानें निचली मंजिल पर जिसका गृह संख्यांक 563-ए है जो वार्ड नं० 16 सेंट्रल एवेन्यू रोड नागपुर में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नागपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)

के अधीन 29-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरिकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री गोविन्द राव विरहमल छाबरिया
(अन्तरक)

2. (1) श्रीमती विदैया देवी गंगाराम
(2) श्रीमती कमला देवी लुधिन्दा
(अन्तरिती)

*3. श्री/श्रीमती/कुमारी
(1) सुरेश लाल परसराम
(2) मैनेजर सीगर सेक्यिरिटीज मर्चेन्ट लिमिटेड कंपनी
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

*4. श्री/श्रीमती/कुमारी
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे और उस की सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्त्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेप की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गोविंदनिवास नामक गृहसंपत्ति में से दो दुकान निचली मंजिल पर जिसका गृह-क्रमांक 56-ए पर है जो वार्ड नं० 16 सेंट्रल एवेन्यु रोड, नागपूर में स्थित है ।

तारीख : 4-9-1973

मोहर :

(जो लाग न हो, उसे काट दीजिए) ।

No. IAC/Acq/15/73-74.—Whereas, I, S. S. Roy being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 23,000 bearing

House No. 319/091 Cradok Town, Dhantoli, Nagpur.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Nagpur on 28th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) Facilitating the reduction or evasion of the Liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) Facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under Sub-section (1) of Section 269-D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) Shri Satyaki Gupta . . . (Transferor)
(2) Smt. Shantabai Innerchandji Kejadiwal (Transferee)
(3) .. (Person in occupation of the property
(4) .. (Person whom the undersinged knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the tcquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) By any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation :

The terms and expressions used herein as are defined in Chapter-XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in the Chapter

THE SCHEDULE

House property bearing House No. 319/091, Cradok Town, Dhantoli, Nagpur.

Seal
Seal
Nagpur, dated the 11th September, 1973

S. S. ROY,
(Competent Authority),
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax Acquisition Range, Nagpur.

नागपुर 11 सितम्बर 1973

सं० सक्षम प्रा० सी०/ए० सी० क्र०/15/73-74.—यतः मुझे एस० एस० राय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी

सं० 319/091 क्राडकटाउन, धंतोली, नागपुर है ।

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नागपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथास्थिति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती

(अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने का उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना,

और मतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20—क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः अब, धारा 269—ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269—घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सत्यकी गुप्ता (अन्तरक)

2. श्रीमती शांताबाई इंद्रचंदजी केजडीवाल (अन्तरिती)

3. श्री/श्रीमती/कुमारी (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कुमारी (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे और उस की सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदावधि, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20—क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गृह सम्पत्ति संख्या क्रमांक 319/091 काडक टाउन, धंतोली, नागपुर में स्थित है ।

एस० एस० राय,
(सक्षम प्राधिकारी)
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नागपुर ।

तारीख : 11-9-1973

मोहर :

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

PRINTED BY THE MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973